अध्याय - III थलसेना

3.1 आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसाईटी के लाभार्थ रक्षा सम्पत्तियों एवं मानवशक्ति का अनधिकृत उपयोग

रक्षा मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए सरकारी इमारतों का दुरूपयोग बंद करने का बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, सेना प्राधिकरणों ने पुणे में आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा रक्षा भवनों के अनधिकृत उपयोग की अनुमति दी और उनकी मरम्मत/नवीनीकरण पर ₹ 83.52 लाख व्यय किए । आगे, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय के मिलिट्री सचिव की शाखा ने अनियमित रूप से आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसाईटी (ए.डब्ल्यु.ई.एस.), एक निजी संस्था, के पेशेवर संस्थानों के संचालन हेतु सेना के नौ अधिकारियों की नियुक्ति की ।

रक्षा सेवाओं के आवासीय मानक निजी एजेसिंयों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के संचालन हेतु सरकारी भवनों के प्रावधान की अनुमति नहीं देते । आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसाईटी (ए.डब्ल्यु.ई.एस.), जैसी गैर-सरकारी एजेंसियों के पब्लिक स्कूल/ शैक्षणिक संस्थानों के संचालन हेतु रक्षा भूमि/भवनों के प्रयोग के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है । ऐसे संस्थानों के प्रयोग हेतु स्थानीय कमाण्डरों द्वारा रक्षा भवनों के पुनःर्विनियोजन पर संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय ने अक्तूबर 2000 एवं अक्तूबर 2001 में यह स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किए कि सौंपी गई शक्तियों का दुरूपयोग अनुशासनिक कार्रवाई को आमंत्रण देगा तथा आर्मी पब्लिक स्कूल (ए.पी.एस.) एवं ए.डब्ल्यु.ई.एस. द्वारा संचालित अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित रक्षा भवनों पर सेना अभियंता सेवाओं (एमईएस) को सरकारी कोष से कोई व्यय नहीं करना चाहिए । ऐसे संस्थानों के संचालन के अनधिकृत कर्तव्य-निर्वाहन हेतु सेना कार्मिकों की तैनाती की अनुमति भी नहीं थी ।

I - अनधिकृत कार्य

संस्वीकृतियों की हमारी नमूना जांच से सेना अधिकारियों द्वारा मंत्रालय के आदेशों की लगातार अवज्ञा प्रकट हुई । दक्षिणी कमान मुख्यालय पुणे के जनरल ऑफिसर कमान्डिंग-इन-चीफ (जी.ओ.सी-इन-सी) ने जनवरी 2008 तथा मार्च 2008 में एमईएस द्वारा आठ रक्षा भवनों की विशेष मरम्मत हस्तगत करने हेतु संस्वीकृतियाँ जारी कीं और ₹83.52 लाख की लागत पर इसे संपादित किया । संस्वीकृति में उल्लेख नहीं किया कि भवन एपीएस द्वारा प्रयोग किये जा रहे थे । हमने देखा कि ये भवन 1999 में पाँच भवनों के अस्थाई पुनःर्विनियोजन हेतु स्टेशन कमांडर पुणे द्वारा जारी एक संस्वीकृति, जिसे तत्पश्चात् तीन भवनों के संबंध में तीन वर्षो का विस्तार दिया गया, के अधीन अप्रैल 1997 से एपीएस द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे । वर्ष 2000/2001 के मंत्रालय के आदेशों की स्पष्ट अवज्ञा में, स्कूल के लिए भवनों का प्रयोग जारी रहा और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मंत्रालय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार ए.पी.एस./ ए.डब्ल्यु.ई.एस. द्वारा स्कूल भवन की अधिग्रहणता सततः अनधिकृत रही । इन भवनों की विशेष मरम्मत की संस्वीकृति एवं कार्यान्वयन भी अनियमित था।

II - सेना कार्मिकों की अनियमित तैनाती

आगे, दिसम्बर 2005 से सेना के नौ अधिकारियों को मंत्रालय(सेना) के एकीकृत मुख्यालय के मिलिट्री सचिव (एमएस) की शाखा ने ए.डब्ल्यु.ई.एस. चलित पेशेवर संस्थानों जैसे सेना प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, सेना आर्युविज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली और सेना विधि संस्थान, मोहाली में नियुक्त किया । ए.डब्ल्यु.ई.एस. में दिसम्बर 2005 और जनवरी 2012 के मध्य नियुक्त अधिकारियों को दिये गए वेतन एवं भत्ते ₹1.56 करोड़ आँके गए, जो अवकाश वेतन/ सेवानिवृति अशंदान के सहित ए.डब्ल्यु.ई.एस. से वसूल किए जाने चाहिऐं । प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (ऑफिसर्स) पुणे ने हमारी आपत्ति के उत्तर में जून 2011 में बताया कि मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय की एमएस शाखा ने यह स्पष्ट किया था कि अधिकारियों की नियुक्ति शुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति की थी और यह पूर्णतया एमएस शाखा के उत्तरदायित्वों की परिधि में थी । एमएस शाखा का यह तर्क अमान्य है क्योंकि ए.डब्ल्यु.ई.एस. में इन अधिकारियों की नियुक्ति अधिकृत रक्षा कर्तव्यों हेतु नहीं थी और रक्षा सेवाओं के अनुमानों पर उनके वेतन को प्रभारित करना मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन था और इसलिए अनियमित था । अवकाश वेतन/ सेवानिवृति अंशदान सहित वेतन एवं भत्तों के अनियमित भुगतान को ए.डब्ल्यु.ई.एस. से वसूल किए जाने की आवश्यकता है ।

अतः यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मंत्रालय ने ए.डब्ल्यु.ई.एस. द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु प्रयोज्य सरकारी भवनों की अनुमति के विरूद्ध सेना प्राधिकारियों को सख्ती से सलाह देते हुए आदेश जारी किए, यह सुनिश्चित के योग्य नहीं हुआ है कि उनके आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है । आगे, रक्षा (वित्त) ने भी भवन निर्माण कार्य तथा ए.डब्ल्यु.ई.एस. के साथ सेना कार्मिकों की तैनाती के संबंध में वेतन एवं भत्तों पर व्यय को संस्वीकृति करने में सेना कमांडरों के निर्णयों में मंत्रालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना में सहमति दी।

हमारा मत है कि इस संबंध में मामलों की वर्तमान स्थिति जिसे हमारे प्रतिवेदनों (2008-09 के प्रतिवेदन सं0 सीए 17 का पैरा 3.5, 2008 के प्रतिवेदन सं0 सीए 4 का पैरा 3.8, 2007 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 4 का पैरा 2.4.10, 2007 के प्रतिवेदन संख्या 4 का पैरा 3.3, 2005 के प्रतिवेदन सं0 6 का पैरा 3.5 तथा 2001 के प्रतिवेदन सं0 7 का पैरा 27) मे बार-बार प्रकट किया गया है उससे देश की रक्षा संस्थापनाओं में स्थापित कमान रूपरेखा की विश्वसनीयता का क्षय होता है । रक्षा मंत्रालय को या तो जहाँ कही भी याचित हो कार्योपरांत संस्वीकृतियां प्रदान करते हुए विभिन्न स्तरों पर सैन्य कमांडरों के कार्यो को मान्यता देनी चाहिए तथा भूमि, भवनों के प्रयोग तथा रक्षा (वित्त) के साथ परामर्श करके उपयुक्त सुरक्षाओं सहित सेवारत/सेवानिवृत रक्षा कार्मिकों के लाभार्थ कल्याणकारी गतिविधियों को मान्य करने के लिए सैन्य कमांडरों को शक्तियां सौंपते हुए सामान्य आदेश जारी करने चाहिए अथवा इस विषय पर इसके द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन करवाया जाना चाहिए । यथास्थिति को बनाए रखने की अनुमति देना न केवल बुरे प्रशासन को दर्शाता है अपितु समग्र रूप से रक्षा संस्थापनाओं में वित्तीय अनुशासन क्षय होने का भरपूर जोखिम भी है ।

मामले मंत्रालय को अप्रैल 2012 में भेजे गये थे; उनके उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित थे ।

3.2 फिल्ड गनों के लिए मोडुलर चार्ज प्रणाली के विकास पर निष्फल व्यय।

महानिदेशक आर्टिलरी के अनुरोध पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 105 एम.एम. एवं 130 एम.एम. गनों के लिए मोडुलर चार्ज प्रणाली विकसित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना शुरू की। किन्तु परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात आर्टिलरी ने प्रौद्योगिकी में रूचि नहीं दिखाई, जिसके फलस्वरूप ₹ 13.48 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने शोध के लिए निर्धारित क्षेत्र में अथवा सशस्त्र सेनाओं की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू किये गये कर्मचारी परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए क्षमता निर्माण परियोजना शुरू की जिनको कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (टी.डी.)/शोध एवं विकास (आर.एवं डी.)/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस.एण्ड टी.)/आधारभूत विकास परियोजना के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं को ऐसी प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध किया जाता है, जिनका भविष्य में कर्मचारी परियोजनाओं में अनुप्रयोग किया जा सके।

आर्टिलरी गन के क्षेत्र मे, मोडुलर चार्ज प्रणाली स्वचालन, बैरल के टूट-फूट में कमी आदि फायदे को ध्यान में रखते हुए मौजूदा बैग्ड चार्ज प्रणाली की तुलना में ज्यादा वांछनीय थी। डी.आर.डी.ओ. ने 2002 मे 155 एम.एम.गन हेतु मोडुलर चार्ज प्रणाली के क्षेत्र मे अपनी क्षमता विकसित करने के लिए एस.एण्ड टी. परियोजना शुरू की। परन्तु इस विकास कार्य की पूर्ण समाप्ति के पश्चात ही नवम्बर 2006 में डी.आर.डी.ओ. ने इस परियोजना की जानकारी महानिदेशक आर्टिलरी जो इसके अंतिम लाभग्राही थे, को दी। जब इस विषय पर चर्चा उसी महीने रक्षा सचिव की अध्यक्षता मे हुई बैठक में हुई उसमें एस.एण्ड टी. परियोजना को बंद कर 105 एम.एम. एवं 130 एम.एम. गनों के लिए मोडुलर चार्ज प्रणाली विकसित करने के लिए एक टी.डी. परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसे निरस्त करने का विचार इसलिए किया गया क्योंकि 155 एम.एम. गनों के चार्ज प्रणाली के उत्पाद की प्रौद्योगिकी का पहले ही आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा आयात कर लिया गया था।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, दिसम्बर 2007 मे, रक्षा मंत्रालय डी(आर.एण्ड डी.) ने दिसम्बर 2010 तक पूरा करने के लिए टी.डी. परियोजना को मंजूरी दी। डी.आर.डी.ओ. ने यह परियोजना "उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला"(एच.ई.एम.आर.एल.) को सौंपी, जिसने 2002 मे 155 एम.एम.गनों के मोडुलर चार्ज प्रणाली की एस.एण्ड टी. क्षमता निर्माण की परियोजना को लिया था और नवम्बर 2006 में पूर्ण कर दिया था।

परियोजना की स्वीकृति के 15 महीनों के बाद महानिदेशक आर्टिलरी के आदेशानुसार मार्च 2009 में स्कूल ऑफ आर्टिलरी ने टी.डी. परियोजना की उपयुक्ता का अध्ययन किया और पाया मोडुलर चार्ज प्रणाली का यह बदलाव मूल्य प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो दशक से भी कम समय के अंतराल मे 105/130 एम.एम. गनों को योजनाबद्ध तरीके से बाहर किया जाना था। परन्तु एच.ई.एम.आर.एल. को हस्तगत टी.डी. परियोजना को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

एच.ई.एम.आर.एल. ने ₹ 13.48 करोड़ के व्यय के पश्चात प्रणालियों का विकास किया तथा सफल तकनीकी परीक्षणों के बाद दोनो प्रणालियों को सितम्बर 2010 (105/130) मे उपयोगता परीक्षण के लिए उपयोगता को प्रस्तुत किया। किन्तु इस चरण तक महानिदेश्क आर्टिलरी ने इन प्रणालियो मे अपनी अरूचि दिखाई क्योकि यह गनें अपने जीवन- चक्र के अंतिम चरण पर

पहुँच चुकी थी और आने वाले 7 से 10 वर्षो के अंदर इन्हें सेवा से निकाल दिया जाना था।इस कारण से समस्त प्रयत्न और ₹13.48 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ।

लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में महानिदेशक आर्टिलरी ने कहा (मई 2012) कि डी.आर.डी.ओ. को कहा गया था कि परियोजना का जिम्मा सेना को मुल्य विवक्षा दिये बिना लिया जाए तथा प्रणालियों को इसलिए भी स्वीकृति नहीं मिली क्योकि डी.आर.डी.ओ. ने उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए प्रणालियों को जनवरी 2009 की समय सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया था। इसके विपरीत, डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय ने कहा (जुलाई 2012) कि सेना को विकास के हर चरण से जोड़ा और सूचित किया गया था।महानिदेशक आर्टिलरी का प्रणालियों को स्वीकार न करने के पीछे का यह तर्क कि उसे परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में 20 महीने का विलंब हुआ, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि 105/130 एम.एम. बंदूकों को पहले ही निकाला जाना सुनियोजित था। अतः केवल यही देरी माडुलर चार्ज सिस्टम को न अपनानें के निर्णय में भागीदार नहीं थी। स्पष्ट है कि महानिदेशक आर्टिलरी ने डी.आर.डी.ओ. को टी.डी. परियोजना सौंपने से पहले इस टी.डी. परियोजना से भविष्य में होने वाले लाभों को जानने की गंभीरतापूर्वक चेष्टा नहीं की।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) द्वारा पहले ही ऐसी क्षमता हासिल कर लेने पर भी डी.आर.डी.ओ. द्वारा दिसम्बर 2002 में 155 एम.एम. गनों के लिए एस.एण्ड टी. परियोजना का मोडुलर चार्ज प्रणाली के लिए जिम्मा लेने की आवश्यकता संदिग्ध है।

दोनों संगठनों डी.आर.डी.ओ. जोकि ऐसे भारतीयकरण हथियारों के तथा सेना उनके उपयोग के लिए उत्तरदायी है, का एक ही मंत्रालय में होते हुए भी एक दूसरे पर दोषारोपण करना, इस बात का संकेत सूचक है कि दोनों रक्षा मंत्रालय में होकर भी आपसी मतभेद से संचालन करते आ रहे थे। ₹ 13.48 करोड़ का निष्फल व्यय इस बात का संकेत सूचक है कि मंत्रालय के लिए जरूरी है कि वह डी.आर.डी.ओ. तथा रक्षा सेवाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अत्यावश्यक कठोर कार्यवाही करे ताकि देश की रक्षा पर हुआ एक रूपये का भी व्यय अधिकतम लाभ वापिस लाए।

इस मामले को मार्च 2012 में मंत्रालय को भेजा गया था; जिसका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

3.3 रक्षा भूमि को व्यवसायिक दोहन से सुरक्षा करने में मुख्यालय दक्षिणी कमान की विफलता

वैवाहिक आवास परियोजना हेतु भूमि को आरक्षित करने के न्यायिक आदेश की अवहेलना में पुणें स्थित स्थानीय मिलिट्री प्राधिकारियों ने रक्षा भूमि को व्यवसायिक प्रयोग हेतु एक निजी बिल्डर को अनुमति प्रदान की ।

रक्षा स्वामित्वयुक्त भूमि जो अप्रयुक्त अथवा रिक्त है को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि के लिए निजी/सार्वजनिक शाखाओं को पट्टे पर दी जाती है। ऐसे पट्टे में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान होता है कि पट्टे-धारी पट्टा-दाता की अनुमति के बिना कथित भवन के उत्तोलन अथवा योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए अधिकृत नही है। आगे, न तो छावनी भूमि प्रशासन नियम न ही पट्टे की शर्तें इसमें किसी अन्य सम्पत्ति के लिए भूमि की अथवा स्वामी के अधिकार में अदला-बदली की अनुमति देतीं थी ।

पुणे छावनी में लाथियान् रोड पर बंगला सं0 8-ए के अधीन 0.96 एकड़ की रक्षा भूमि तत्कालीन परिषद में गवर्नर जनरल ने 90 वर्षो तक नवीनीकरणीय शर्तो पर 30 वर्षो के लिए मि0 रूस्तम मेरवनजी मास्टर तथा श्रीमती बैमई रूस्तम मास्टर को 1946 में निवास तथा दुकानों के प्रयोग हेतु उस वर्ष के अगस्त माह से प्रभावी पट्टे पर दी थी । पट्टे-धारी ने जिस भूमि पर बंगला था, के व्यवसायिक दोहन हेतु एक योजना प्रस्तुत (1945) की थी, जिसके अनुसार भूमि का 56 प्रतिशत व्यवसायिक उद्देश्य तथा शेष आवासीय उद्देश्य हेतु प्रयोग होता । पट्टे का रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) द्वारा अगस्त 2006 से 30 वर्षो के लिए अंतिम नवीनीकरण किया गया था ।

मूल पट्टे-धारियों ने मार्च 1988 में अपने अधिकार मै0 कल्पतरू बिल्डरस् को बेच दिया जिसने पुणे छावनी बोर्ड से स्थल पर 67 दुकाने तथा एक छोटा आवासीय ऑपार्टमैंट निर्मित करने की अनुमति की याचना (अगस्त 1988) की। छावनी बोर्ड ने मामला डीईओ को भेजा जिसने इस आधार पर अनुमति प्रदान करने से इंकार कर दिया कि प्रस्ताव मे मूल पट्टे की शर्तो के विरूद्ध भूमि का अधिक गहन व्यवसायिक दोहन निहित था।

निदेशक रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान, पुणे अपीलीय प्राधिकारी, जिससे बिल्डर ने डीईओ के निर्णय के विरूद्ध अपील की, ने पीछे वाले के निर्णय का समर्थन (जून 1991) किया तथा बिल्डर को 1945 में मूल पट्टे-धारियों द्वारा प्रस्तुत योजना के दृष्टीगत एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने का निदेश दिया । मुख्यालय दक्षिणी कमान, पुणें ने सुरक्षा आधारों पर भूमि के व्यवसायिक दोहन का विरोध किया क्योंकि व्यवसायिक गतिविधि के परिणामस्वरूप क्षेत्र में सिविलियन, असमाजिक एवं राष्ट्र-विरोधी तत्वों का आगमन होगा। सेना मुख्यालय वैवाहिक आवास निर्माण हेतु इस भूमि को पुर्नप्राप्त करना चाहती थी (नवम्बर 1996) क्योंकि सम्पत्ति पहले से ही वैवाहिक आवास हेतु क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत पड़ती थी ।

इसी दौरान बिल्डर ने भवन निर्माण हेतु अपने प्रस्ताव के अस्वीकरण को चुनौती देते हुए बाम्बे उच्च न्यायालय में दावा याचिका दायर की । न्यायालय ने याचिका को रद्द कर दिया (सितम्बर, 2005), किन्तु मूल पट्टे-धारियों की योजनानुसार सेना अधिकारियों हेतु वैवाहिक आवास के निर्माण के लिए 44 प्रतिशत भूमि आरक्षित करते हुए निर्माण की अनुमति हेतु जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) को आवेदन करने का विकल्प भी दिया।

बिल्डर के संशोधित आवेदन के आधार पर छावनी बोर्ड ने जीओसी-इन-सी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त बिल्डर को इस शर्त पर भवन निर्मित करने की अनुमति प्रदान की (जनवरी 2006) कि 44 प्रतिशत भूमि वैवाहिक अधिकारियों के आवास हेतु प्रस्तुत की जाएगी । इस शर्त को चुनौती देती हुई बिल्डर की याचिका सितम्बर 2006 में उच्चत्तम न्यायालय में बर्खास्त हो गई ।

चूँकि बिल्डर जीओसी-इन-सी द्वारा थोंपी गई शर्त को स्वीकार करने में अनिच्छुक था, जुलाई 2008 में मुख्यालय पुणे सब-एरिया के स्टेशन कमांडर एवं छावनी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष ने जीओसी-इन-सी को जनवरी 2006 में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण योजना को दिए अनुमोदन को कार्यरूप देने की शुरूआत करने की अनुशंसा की । तथापि दिसम्बर 2008 में मुख्यालय पुणे सब-एरिया ने अपनी अनुशंसा को पूर्णतया मुख्यालय दक्षिणी कमान की ओर मोड दिया तथा सुझाव दिया कि यदि न्यायालय के बाहर मित्रतापूर्ण समझौता किया जा सके तो वैवाहिक आवास हेतु 44 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित करने की शर्त को वापिस लिया जाना

चाहिए । जीओसी-इन-सी ने सुझाव को स्वीकृत किया और पुणे छावनी की निकट-सीमा में न्यूनतम 1200 वर्ग फुट क्षेत्र प्रत्येक के तीन फ्लैट दो वर्षो के विस्तारयोग्य सीमा सहित तीन वर्षो की अवधि के लिए सेना के पक्ष में पट्टा-प्रदत किए जाने के बदले उक्त शर्त को वापिस लेने पर सहमत (दिसम्बर 2008) हुआ । जनवरी 2009 में स्टेशन कमांडर ने फ्लैट के निवासी जितने गृह किराया भत्ते के अधिकारी थे के समकक्ष पट्टा किराये के भुगतान पर जहां बंगला स्थित है से 7.9 कि0मी0 दूरस्थ स्थित मगरपट्टा शहर में स्थापित तीन फ्लैट स्वीकृत करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए । ये तीन फ्लैट सेना द्वारा अप्रैल 2009 में अधिग्रहण कर लिए गए । मुख्यालय दक्षिणी कमान ने इस सौदे को अधिकृत करते हुए न केवल न्यायालय के निहित निर्देश, पट्टे की मूल शर्तो तथा सीएलए नियमों के ढांचे के परे जा कर कार्य किया अपितु पुणे के प्रमुख क्षेत्र की एक बहुत ही कीमती भूमि के दोहन के अधिकार के बदले एक अविश्वसनीय अल्पावधि के लिए एक निम्न श्रेणी की सम्पत्ति, वास्तविक उपयोग की सूचना रहित, को स्वीकृत करके सेना के हितों से गंभीर समझौता भी किया ।

मुख्यालय दक्षिणी कमान ने बताया (जून 2012) कि मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया था तथा विशिष्ट सौदेबाजी, जिसने दिसम्बर 2008/जनवरी 2009 में उलट-पुलट निर्णय लेने के लिए स्थानीय मिलिट्री अधिकारियों को उत्साहित किया, की व्याख्या पर आगे टिप्पणियां उपलब्ध करवाने से इन्कार कर दिया तथा यह भी बताया कि उनके पास उपलब्ध सूचना जांच मामले के परिणाम को प्रभावित कर सकती थी । इसलिए, संबंधित पत्रावली जिसमें ऐसा निर्णय लिया गया, लेखापरीक्षा परीक्षण हेतु उपलब्ध नही करवाई गई । यह बिल्कुल वैसे ही मामलों में से एक है जिसका उल्लेख आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2011-12 की 11वीं प्रतिवेदन में किया गया था जिसमें रक्षा मंत्रालय मे न्यासीय उत्तरदायित्व धारक व्यक्ति आदर्शात्मक प्रतिमान से धोखा करता है, । मंत्रालय को स्थानीय मिलिट्री अधिकारियों द्वारा ऐसे अतिक्रमणों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण अपनाने और प्रभावी सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2012 में भेजा गया था; उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

3.4 छावनी बोर्ड पुणे को संरक्षण प्रभारों का अधिक भुगतान

स्टेशन मुख्यालय पुणे ने कार्य पर वास्तव में उपस्थित होने की सूचना देने वाले संरक्षण स्टाफ की नामावलियों का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड पुणे को ₹ 94 लाख के संरक्षण प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन के पैरा 53 में बोर्ड द्वारा संरक्षण सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारियों के ब्यौरे/नामावलियों के अभाव में छावनी बोर्ड द्वारा किए गए भुगतानों की प्रमाणिकता का सत्यापन करने में लेखापरीक्षा की असमर्थता का उल्लेख किया गया था। परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय ने संरक्षण करार प्रपत्र में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधितों को (जुलाई 2003) अनुदेश जारी किए:

"छावनी बोर्ड इस करार के अन्तर्गत नियुक्त किए जाने वाले संरक्षण स्टाफ (श्रेणीवार) की कुल संख्या को स्टेशन कमांडर को सूचित करेगी। इस करार के अन्तर्गत एक माह विशेष में ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षण स्टाफ की एक नामावली विधिवत् समर्थित बिलों सहित स्टेशन

कमांडर के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। छावनी बोर्ड (बोर्डों) द्वारा संरक्षण सेवाओं हेतु वास्तव में तैनात कर्मचारियों के ब्यौरे तथा नामावलियां, स्टेशन कमांडर द्वारा नमूना लेखापरीक्षा की आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करने हेतु, व्यय की यर्थाथता और इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक लेखापरीक्षा किए जाने योग्य दस्तावेज के रूप में रखी जाएगी।"

हमने पाया (जनवरी 2010) कि मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिण कमान, पुणे (पी.सी.डी.ए.) की सहमति से 2006-07 से 2009-10 तक के वर्षों के लिए स्टेशन मुख्यालय पुणे द्वारा ₹ 4.37 करोड़ के किए गए संरक्षण करारों में उपरोक्त प्रावधान सम्मिलित नहीं था जिससे कि सुनिश्चित किया जा सकता कि वास्तव में तैनात कर्मचारियों की नामावलियां तथा ब्यौरे रखे जा रहे थे। हमारी अभिलेखों की जाँच से पता चला कि छावनी बोर्ड द्वारा तैनात संरक्षण स्टाफ की संख्या तथा उनमें जिन्होंने स्टेशन मुख्यालय तथा स्टेशन स्वास्थय संगठन (एस.एच.ओ.)में कार्य पर वास्तव में आने की सूचना दी थी, बड़ी विभिन्नताएं थी। स्टेशन मुख्यालय पुणे ने बोर्ड से प्राप्त संरक्षण बिलों को अपने अभिलेखों के संदर्भ से उनकी प्रमाणिकता की जाँच किए बिना भुगतान हेतु पी.सी.डी.ए. को अग्रेषित किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2006 से सितम्बर 2010 की अवधि के दौरान ₹ 94 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। अतिरिक्त भुगतान की गणना चालकों/क्लीनरों/फिलरों जिन्होंने वास्तव में कार्य पर आने की सूचना नहीं दी थी परन्तु जिनके लिए बोर्ड को भुगतान कर दिया गया था, के औसत वेतन को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

स्टेशन मुख्यालय ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2010) और बताया (दिसम्बर 2011) कि हमारे द्वारा उजागर किए जाने के बाद से दिसम्बर 2010 से उपस्थिति पंजिका रखी जा रही है।

मंत्रालय के संरक्षण स्टाफ की वास्तविक उपस्थिति की नामावलियों के समुचित अभिलेख रखे जाने के लिए जारी जुलाई 2003 के अनुदेशों का अनुपालन करने में स्टेशन मुख्यालय की विफलता के परिणामस्वरूप बोर्ड को ₹ 94 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। पी.सी.डी.ए. द्वारा भुगतान के समय और साथ-साथ स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान दोनों ही अवस्थाओं में त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सका।

हम संस्तुति करते हैं कि अतिरिक्त भुगतान को छावनी बोर्ड के लम्बित/भविष्य के भुगतानों में से वसूला जाए।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2012 में भेजा गया था; उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

3.5 गोला बारूद की अधिक आवश्यकता का निर्धारण

महानिदेशालय आयुध सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकता के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड को दो प्रकार के गोला बारूद की भण्डार की फालतू मात्रा होने के बावजूद आपूर्ति हेतु माँगपत्र दिया तथा सैद्धान्तिक रूप से उनके आयात की अनुमति भी प्रदान की। लेखापरीक्षा के हस्तक्षेप से आयुध फैक्ट्री बोर्ड पर माँग पत्र का निरस्तीकरण हुआ तथा आयात पर आगे की कार्यवाही भी रोकी गई परिणामतः ₹168.75 करोड़ की बचत हुई।

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में मास्टर जनरल आर्डनेंस (एम जी ओ) के महानिदेशक आयुध सेवाएँ गत अपव्यय पद्धति, वर्तमान भण्डार, ड्यूज-इन तथा सम्भावित

देयताओं के आधार पर वार्षिक प्रावधानीकरण समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। हमने (दिसम्बर 2008 तथा जुलाई 2010)गोलाबारूद की दो प्रकार की आवश्यकता में महानिदेशक आयुध सेवाएँ द्वारा प्रावधानाधिक्य के मामले देखे। एम जी ओ के प्रस्ताव के आधार पर, फालतू गोलाबारूद के बावजूद अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति हेतु रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2010 में 2009-10 से 2013-14 पॉच वर्षो के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ एफ बी) को समेकित मॉंगपत्र दिया। एम जी ओ ने न्यूनतम स्वीकार्य जोखिम स्तर (एम ए आर एल) तक गोला बारूद भण्डारण निर्माण हेतु अतिरिक्त गोला बारूद आयात हेतु जनवरी 2010 में रक्षा मंत्रालय से सैद्धान्तिक अनुमति भी यह कहते हुए प्राप्त की कि आयुध फैक्ट्रियों में वांछित निर्माण की पूर्ति में बाधात्मक तत्व थे।

हमारे द्वारा गोलाबारूद भण्डाराधिक्य इंगित करने (दिसम्बर 2008 तथा जुलाई 2010) के उपरान्त, डीजीओएस ने मॉंगपत्र को निरस्त किया (सितम्बर 2010) जो ओ एफ बी को प्रदान किया जा चुका था तथा प्रस्तावित आयात की कार्यवाही भी आगे नही बढ़ी। इस प्रकार ₹168.75 करोड़ की बचत हुई जो अनावश्यक व्यय हो गई होती। इसके साथ ही अनावश्यक गोलाबारूद के भण्डारण तथा रखरखाव पर होने वाले व्यय की भी बचत हुई। प्रत्येक मामले के विशिष्ट तत्व निम्नवत् हैं -

क्रम संख्या	गोलाबारूद का नाम	फालतू भण्डार	खरीद हेतु मंजूर मात्रा	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		भण्डार रखने का माह	अवधि	
1	5.56 एम एम खाली आई एन एस ए एस	48.09 लाख ------------ जुलाई 2009	480.00 लाख नग (स्वदेशी) जनवरी 2010	जबकि भण्डार में 48.09 लाख नग फालतू थे तो अतिरिक्त मात्रा आदेशित करने के कारणों को सुनिश्चित किया गया
			148.64 लाख (आयातित) जनवरी 2010	
2	कार्टेज एस ए-22 रिम फायर ट्रेसर	62.33 लाख	50 लाख नग (स्वदेशी) जनवरी 2010	अतिरिक्त मात्रा मॉगने/ आदेशित करने के कारणों को सुनिश्चित किया गया जबकि वर्तमान भण्डार में 62.33 लाख नग आने वाले 19 वर्षों के लिए यूनिटों की सामान्य मॉग को पूरा करने के लिए काफी था।
		दिसम्बर2008	169.44 लाख (आयातित) जनवरी 2010	

उपरोक्त दो मामले प्रकट करते हैं कि केवल लेखापरीक्षा के हस्तक्षेप के बिना ₹168.75 करोड़ मूल्य के गोलाबारूद की परिहार्य अधिप्राप्ति हो गयी होती। ओएफबी को मॉंगपत्र प्रदाय तथा अतिरिक्त मात्रा के आयात हेतु अनुमति प्राप्त करने की घटना जबकि गोलाबारूद का भण्डाराधिक्य था, गोलाबारूद डिपुओं के स्तर पर इन्वेन्ट्री मॉनिटरिंग में कमियों को प्रकट करती है। हमने आन्तरिक नियंत्रणों की मजबूती के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ मंत्रालय से की कि अधिप्राप्ति निर्णय/ अनुमतियॉं उपलब्ध भण्डार स्थिति के आधार पर ही की जाएँ।

मामला मंत्रालय को मई 2012 में भेजा गया; उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

3.6 यथोचित एल-1 दरों की अस्वीकृति के कारण फालतू व्यय

2009-10 के दौरान सैन्य दलों हेतु ताजा खाद्य सामग्री की आपूर्ति संबंधी तीन विभिन्न अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में सेना कमाण्डर पश्चिमी कमान द्वारा अनुचित हस्तक्षेप से संविदाओं के संपादन में देरी एवं ₹ 4.57 करोड़ का फालतू व्यय हुआ ।

सैन्य दलों की आर्मी सर्विस कोर (एएससी) के माध्यम से ताजा खाद्य सामग्री का आपूर्ति अधिप्राप्ति की प्रशासित पद्धति यह निर्धारित करती है कि खरीददारियां अधिकृत ठेकेदारों से यथावत् आमंत्रित निविदाओं की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वार्षिक संविदाओं का संपादन करके की जानी चाहिए । केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) की निविदा प्रक्रिया के दिशानिर्देश आगे निर्धारित करते हैं कि मूल्यांकन मानदंडो से संबंधित सभी कारकों को निविदा आमंत्रण से पूर्व सुस्पष्ट शब्दों मे विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए । ताजा खाद्य सामग्री के संदर्भ में अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुओं की किस्म/संरचना को निरपवाद रूप से स्टेशन कमाण्डर द्वारा आकलित किया जाता है और निविदा दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाता है । निविदा दरों की प्राप्ति उपरांत किस्मों में परिवर्तन आदेशित नही है ।

समय पर संविदा संपादन को सुलभ बनाने हेतु सितम्बर 2006 में रक्षा मंत्रालय द्वारा पद्धति को सरल बनाया गया क्योंकि विलंब और परिणामतः संविदा संपादन न होने के परिणामस्वरूप पुनःर्निविदाकरण होता है जो अधिप्राप्ति कार्रवाई के स्थगित होने के अतिरिक्त सरकारी हितों के लिए हानिकारक बन जाता है । ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिप्राप्ति कार्रवाई का स्थगित संपादन के परिणामतः स्थानीय क्रय (क) क्रय की गई वस्तुओं की बढती क्रय लागत, (ख) निर्णयों में स्वेच्छाचारिता, (ग) भावी संविदाओं में उच्चतर दरों की विकृत प्रवृति के दृष्टिगत, जोखिम पूर्ण है ।

पश्चिमी सेना कमान में हमने पाया कि 2009-10 में तीन मामलों जिनकी नीचे विवेचना की गई है, में आर्मी कमाण्डर ने स्टॉफ आफिसर तथा वित्तीय अनुशसांओं के विपरीत कार्रवाई करते हुए (क) निविदाएं खोले जाने के उपरांत ताजा खाद्य सामग्री की आपूर्ति की मदों के अनुपात में परिवर्तन (ख) एल-2 निविदा के पक्ष में एल-1 निविदा का अस्वीकरण इस आधार पर कि एल-2 संविदा में प्रथम-दृष्या गुणवत्ता के मानको, वितरण श्रृंखला इत्यादि सभी तत्व जो पूर्व में, दोनो ही, निविदा दस्तावेजों में तथा बोर्ड ऑफ आफिसर्स के विचार-विमर्श से अंकित किए जा चुके थे, किसी भी प्रकार से निविदापरांत अवस्था में नहीं लाए जाने चाहिए थे तथा (ग) सैन्य दलों के महत्व को वार्षिक अधिप्राप्ति कार्रवाई के मध्य में सुनिश्चित करने के आधार पर ताजा शौधित मुर्गा/मॉंस की आपूर्ति हेतु निविदा में हस्तक्षेप किया, कुछ ऐसा जो आगामी वार्षिक अधिप्राप्ति के लाभार्थ स्वतंत्र रूप से किया जा सकता था उपयुक्त वित्तीय सलाहकार की अनुशंसा के लिए भेजा। उपयुक्त वित्तीय सलाहकार की अनुशंसा के लिए भेजा। ऐसे तदर्थ हस्तक्षेप, गलत धारणा बनाने के अतिरिक्त, सार्वजनिक अधिप्राप्ति के एक मूल सिद्धात को भंग करते हैं जो कि कार्योपरांत अवस्था पर निविदा के क्षेत्र को भिन्न न करना है । जीओसी-इन-सी की ये अविवेकपूर्ण कार्रवाईयों से सैन्य दलों के लिए ताजा खाद्य सामग्री के क्रय हेतु संविदाओं के संपादन में विलंब हुआ तथा ₹ 4.57 करोड़ का फालतू व्यय हुआ।

मामला-I

मद	**सब्जियां एवं फल**
संविदा की अवधि	अक्तूबर 2009 - सितम्बर 2010
निविदाएं खोलने का दिनांक	25 जून 2009
स्वीकरण हेतु अधिकारियों के दल द्वारा अनुसंशित एल-1 निविदा	सब्जियों हेतु ₹ 5.36 प्रति कि0ग्रा0 तथा फलों के लिए ₹ 12.49 प्रति कि0ग्रा0 की औसत दर

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

यद्यपि अधिकारियों के दल ने एल-1 निविदाओं के स्वीकरण को अनुशंसित किया था, जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) पश्चिमी कमान (सीएफए) ने यह पाया कि आपूर्ति की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, कीमतें हास्यास्पद रूप से कम थी। फलों की विविधता-प्रतिशतता में परिवर्तन की संभावना पर तब विचार किया गया । यद्यपि एल-1 फर्म से विविधताओं के परिवर्तन हेतु उत्सुक्ता प्रदान करने की प्रार्थना की गई, फर्म ने प्रत्युत्तर नहीं दिया । जीओसी-इन-सी ने सितम्बर 2009 में मामला अगले उच्चत्तर सीएफए अर्थात् क्वाटरमास्टर जनरल (क्युएमजी) को भेजा तथा पुनःनिविदाकरण की अनुशंसा की । क्युएमजी द्वारा शीर्षस्थ राजस्व अधिप्राप्ति बोर्ड (आरपीबी) ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि एल-1 दरें औचित्यपूर्ण दरों के 20 प्रतिशत के अंदर थीं और मुख्यालय पश्चिमी कमान को अक्तूबर 2009 में अपने दृष्टिकोण पर पुनःदृष्टिपात करने को कहा ।

इसी बीच, एल-1 निविदा की वैद्यता समाप्त हो गई । द्वितीय आमंत्रण में एल-1 दरें उँची मानी गई । अंततः तृतीय आमंत्रण में जीओसी-इन-सी ने सब्जियों हेतु ₹ 10.45 प्रति कि0ग्रा तथा फलों हेतु ₹ 20.02 प्रति कि0ग्रा0 स्वीकृत कीं और अप्रैल 2010 में प्रथम आमंत्रण मे प्राप्त एल-1 दरों की तुलना में ₹ 81.88 लाख के फालतू व्यय पर अप्रैल से सितम्बर 2010 की अवधि हेतु एक संविदा निर्णीत की ।

इसी बीच की अवधि में, आपूर्ति डिपो सब्जियों के संदर्भ में ₹ 11.47 एवं ₹ 12.45 तथा फलों के संदर्भ में ₹ 22.98 से ₹ 30.70 प्रति कि0ग्रा0 की उच्चत्तर दरों पर स्थानीय क्रय कर चुका था परिणामतः प्रथम बोली में प्राप्त एल-1 दरों की तुलना में ₹ 1.42 करोड़ का फालतू व्यय हुआ ।

प्राप्त दरें हास्यास्पद रूप से कम होने पर पुनःनिविदाकरण किये जाने की जीओसी-इन-सी की अनुशंसा किसी बाजार विश्लेषण पर आधारित नहीं थी । आगे यह मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति, जिसमें अधिकारियों का एक दल दर संरचना के अध्ययन हेतु एवं बाजार विश्लेषण पर आधारित औचित्यपूर्णता के निर्धारण हेतु उत्तरदायी निर्मित किया गया था, के विपरीत चली गई। क्योंकि दल एल-1 निविदा-दाताओं द्वारा व्यक्त दरों की तार्किकता को दृढ था और अपनी स्वीकृति अनुशंसित की थी जीओसी-इन-सी की कार्रवाई स्वेच्छाचारी प्रकृति की थी ।

मामला-II

मद	**ताजा दूध एवं मक्खन**
संविदा की अवधि	अक्तूबर 2009 - सितम्बर 2010
निविदाएं खोलने का दिनांक	07 अगस्त 2009
स्वीकरण हेतु अधिकारियों के दल द्वारा अनुसंशित एल-1 निविदा	एक निजी दुग्धशाला द्वारा दूध के लिए प्रदत एल-1 दर ₹ 23.05 प्रतिलीटर एवं एक सहकारी दुग्ध संघ द्वारा 100 ग्राम पैक मक्खन के लिए ₹189 प्रति किलोग्राम एवं 500 ग्राम पैक मक्खन के लिए ₹183 प्रति किलोग्राम।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

यद्यपि अधिकारियों के दल ने एल-1 दरों के स्वीकरण को अनुशंसित किया था, क्युएमजी के लिए जीओसी-इन-सी की अनुशंसा अच्छी गुणवत्ता, सेनाओं की स्वीकार्यता एवं महत्व के साथ-साथ इसकी कुशल वितरण व्यवस्था के आधार पर मदर डेयरी (प्रतिलीटर दूध के लिए ₹1.10 अधिक) की द्वितीय निम्नत्तम (एल-2) बोली की स्वीकृति हेतु थी । स्वीकार्य आपूर्ति-कर्ता के लिए ये मानक स्पष्टतः निविदा दस्तावेजों में इंगित आपूर्तियों की विस्तृत सूचना में पहले ही अंकित थी । क्युएमजी प्रस्ताव से सहमत नही थे क्योंकि नियम के विपरीत और तथ्यों एवं समंकों युक्त नही थे । इसने जनवरी 2010 में मुख्यालय पश्चिमी कमान को उच्चत्तर दरों पर स्थानीय क्रय पर फालतू व्यय से बचने के लिए शीध्र संविदा संपादित करने का परामर्श दिया ।

संविदाएं संपादित न हो सकीं क्योंकि इसी बीच एल-1 की वैधता समाप्त हो गई । द्वितीय आमंत्रण के प्रत्युत्तर में अप्रैल 2010 में जीओसी-इन-सी ने अनुशंसित एवं क्युएमजी (सीएफए) ने 30 अप्रैल 2010 से 30 सितम्बर 2010 की शेष अवधि के मध्य उसी निजी दुग्धशाला द्वारा प्रदत दूध की आपूर्ति हेतु ₹ 24.15 प्रतिलीटर तथा उसी सहकारी दूध संघ द्वारा बोले गए मक्खन के 100 ग्राम पैक हेतु ₹ 239 प्रति किलोग्राम एवं 500 ग्राम पैक हेतु ₹ 233 प्रतिकिलोग्राम की निविदा स्वीकृत की । इसमें प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एल-1 की तुलना में ₹ 31.74 लाख रूपये का फालतू व्यय निहित था । इसी मध्य की अवधि में, आपूर्ती डिपो ने एल-1 निविदा की तुलना में ₹ 46.40 लाख का फालतू व्यय करते हुए ₹ 23.95 एवं ₹ 26 प्रति लीटर दूध तथा ₹ 202 से ₹ 232 प्रति किलोग्राम के बीच मक्खन की उच्चत्तर दरों पर स्थानीय क्रय किया । अप्रैल 2010 में संपादित नियमित संविदा तक उसी निजी फर्म से उच्चत्तर दरों पर दूध क्रय किया गया।

परिणामस्वरूप, स्थानीय-क्रय के साथ-साथ तद्नुपरांत एल-1 निविदा के माध्यम से अधिप्राप्त दुग्ध उत्पादों पर ₹ 78.14 लाख का फालतू व्यय हुआ ।

अच्छी गुणवत्ता, सेनाओं की स्वीकार्यता एवं महत्व के साथ-साथ इसकी कुशल वितरण व्यवस्था के आधार पर एल-2 प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु जीओसी-इन-सी की अनुशंसा विषयगत थी क्योंकि सैन्य टुकडियों के पसंद का सुनिश्चियन कभी भी नहीं किया गया न ही मदर डेयरी द्वारा वितरित दूध कभी आपूर्ति डिपो के माध्यम से क्रय करके आपूरित किया गया ।

मामला-III

मद	शौधित माँस एवं मुर्गा
संविदा की अवधि	अप्रैल 2009 - मार्च 2010
निविदाएं खोलने का दिनांक	27 फरवरी 2009
स्वीकरण हेतु अधिकारियों के दल द्वारा अनुसंशित एल-1 निविदा	नई दिल्ली की एक निजी फर्म द्वारा प्रदत्त दर शौधित माँस के लिए ₹ 93.50 प्रति कि0ग्रा0 तथा शौधित मुर्गे के लिए ₹ 72.50 प्रति कि0ग्रा0

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

जीओसी-इन-सी ने क्युएमजी (सीएफए) द्वारा स्वीकृति हेतु ₹ 72.50 प्रति कि0ग्रा0 पर शौधित मुर्गे के लिए निविदा तथा भेड़ और बकरे के माँस हेतु सैन्य टुकडियों की पसंद के अनुपात को सुनिश्चित करने के उपरांत पुनःनिविदाकरण हेतु अनुशंसा की । निविदाएं खोलने के पश्चात शर्तो में परिवर्तन की अनियमितता से इतर, मुख्यालय पश्चिमी कमान ने, कारणों का आलेखन किए बिना, क्युएमजी को मामला अग्रेषित करने में अधिकारी दल की अनुशंसा के दिन से 82 दिनों का विलंब किया । यहां तक कि फरवरी 2009 में प्राप्त बोलियां 30 जून 2009 तक मान्य थीं, मामला क्युएमजी को 06 जून 2009 तक की देरी से भेजा गया, इस प्रकार विलंबित अधिप्राप्ति कार्रवाई सरकारी हितों के लिए हानिकारक हुई ।

क्युएमजी की चेयरमैनशिम में निर्मित आरपीबी ने 29 जून 2009 को अर्थात शौधित मुर्गे की स्वीकृति हेतु एल-1 की वैधता के कालातीत होने से एक दिन पूर्व, मंत्रालय को मामला अग्रेषित किया । मंत्रालय ने कुछ आपत्तियों लेकिन निर्णय विहीन दस्तावेज 30 सितम्बर 2009 को वापिस कर दिये । संविदा संपादिन नही की जा सकी क्योंकि तब तक निविदा की वैधता कालातीत हो चुकी थी ।

मुख्यालय पश्चिमी कमान बिना प्रत्युत्तर के नवम्बर और दिसम्बर 2009 में दो बार पुनःनिविदा आमंत्रित की । तदनुपरांत, अर्थात सैन्य टुकडियों के महत्वानुरूप शौधित माँस हेतु संविदा संपादन हेतु मई 2010 में मंत्रालय से संस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत, मुख्यालय पश्चिमी कमान ने निविदा अनुसूची में इंगित करने के लिए भेड़ और बकरी के माँस के अनुपात के निर्णयन् हेतु सैन्य दलों के महत्व के सुनिश्चिन हेतु कार्यारम्भ किया । जुलाई 2010 में की गई प्रथम निविदा पूछताछ में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित वांछित प्रतिशत दरें, अत्याधिक प्रदर्शित होने के कारण संविदा अस्तित्व में नहीं आ पाई।

इसी मध्य, अर्थात् 8 जून 2009 से 31 मार्च 2010 तक, आपूर्ति डिपो ने स्थानीय दरों पर शौधित माँस एवं मुर्गा अधिप्राप्त किया जो आरम्भिक प्राप्त एल-1 दरों की तुलना में शौधित माँस 6 से 22 प्रतिशत तथा शौधित मुर्गा 19 से 38 प्रतिशत तक उच्चत्तर थीं, परिणामस्वरूप ₹1.55 करोड़ का फालतू व्यय हुआ ।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति तथा सीवीसी के सामान्य दिशानिर्देशो की मुल्यांकन मानकों से संबंधित सभी तत्व पहले ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने चाहिए अर्थात निविदा आमंत्रण से पूर्व, के विपरीत , जीओसी-इन-सी द्वारा वार्षिक अधिप्राप्ति कार्रवाई के मध्य में सैन्य दलों के लिए बकरी अथवा भेड़ के माँस के महत्व के तत्व हेतु संविदा कार्रवाई को विलंबित किया । सेना कमांडर द्वारा, सैन्य दलों की वरीयता के पक्ष में, मांस की अधिप्राप्ति के लिए उस अधिप्राप्ति प्रक्रिया के मध्य में जोकि मूल्यांकन बोली की ओर अग्रसर हो चुका था, किया गया

हस्तक्षेप, सदाशयपूर्ण होते हुए भी अविवेकपूर्ण था तथा केवल आगामी वार्षिक अधिप्राप्ति कार्रवाई के हितार्थ किया जाना चाहिए था।

मामले को मानक अधिप्राप्ति पद्धति की अवहेलना, निविदाओं के खुलने के उपरांत अधिप्राप्ति शर्तों में परिवर्तन करने तथा सरकार को मौद्रिक हानि हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए जाँच किए जाने की मांग करता है ।

मामला मंत्रालय को मार्च 2012 में भेजा गया था उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

3.7 लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियां, बचतें एवं खातों में समायोजन किया जाना

हमारी टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 16.80 करोड़ के शुद्ध प्रभाव युक्त वेतन एवं भत्तों, विविध प्रभारों के भुगतानाधिक्य तथा विधुत एवं चुँगी शुल्कों की वसूली, अनियमित निर्माण संस्वीकृतियों को निरस्त किया तथा वार्षिक लेखों को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा के दौरान हमनें अनियमित भुगतान, शुल्कों की वसूली कम/न होने, अनियमित संस्वीकृतियों को जारी करने तथा लेखांकन अशुद्धियों के कई उदाहरण देखे । लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्य करते हुए, लेखापरीक्षित इकाईयों ने उपचारात्मक कार्यवाही की, जिसका शुद्ध प्रभाव संक्षेप में निम्नवत् हैः-

वसूलियाँ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखे, सेना अभियंता सेवाएं (एमईएस), वेतन एवं लेखा कार्यालयों, कैन्टीन भंडार विभाग(सीएसडी) मुख्यालय तथा सीमा सड़क विकास संगठन के दस्तावेजों की जाँच में ₹ 2.77 करोड़ के वेतन एवं भत्तों के अनियमित भुगतान, विभिन्न प्रभारों, अधिकारी श्रेणी से नीचे कार्मिको से विद्युत शुल्क तथा किराये व संबंधित शुल्कों की वसूली न होना इत्यादि प्रकट हुए । इंगित किए जाने पर संबंधित इकाईयां अनियमित भुगतानों को वसूल करने को सहमत हुईं ।

बचतें

विभिन्न संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरणों जैसे कि रक्षा मंत्रालय, सेना के क्षेत्र/उप-क्षेत्र मुख्यालय, स्टेशन मुख्यालयों, कोर मुख्यालयों इत्यादि ने निमार्ण कार्यो की अनियमित प्रशासनिक अनुमतियाँ निरस्त कीं । कुछ एमईएस अधिकारियों ने अपने द्वारा कार्याधीन निर्माण कार्यो के संबंध में कमी विवरणियाँ जारी करके प्रशासनिक अनुमति राशि को कम किया । इन कार्रवाईयों के शुद्ध परिणामस्वरूप ₹ 6.80 करोड़ की बचत हुई ।

वार्षिक लेखों में संशोधन

जब हमने अनियमित लेखांकन जैसे कि शेष भंडार का अधिमुल्यांकन, दायित्वों के प्रति अप्रयाप्त प्रावधान, राज्य सरकारों से प्राप्य राशि का अल्पांकन इत्यादि के उद्धरण इंगित किए तो सीएसडी मुख्यालय ने वार्षिक लेखों को सही किया । इन सुधारों के अभाव में लाभाधिक्य तथा विभिन्न देनदारों का अल्पांकन हो गया होता। इन सुधारों का शुद्ध प्रभाव ₹ 7.23 करोड़ था ।